

13/6/18

15.6.18 का शीट नं. 30/6/18
उपखण्ड अधिकारी का

पत्रावली बमुकाम केम्प कोर्ट/ लोक अदालत
केम्प शिव में पेश हुई। चूंकि
पत्रावली का केम्प के निरस्तारण नहीं हुआ। अतः
अधिम कारवाई हेतु पत्रावली आइन्दा... 30/6/18
को पेश हो।



30/6/18

पत्रावली बमुकाम केम्प कोर्ट/ लोक अदालत
में पेश हुई वारी वकील उपस्थित।

ज

~~वादी वकील ने निवेदन किया कि वादग्रह भूमि के साबित होने पर उसी के मध्य छलट हो चुकी है मतः व वाद की कारवाई जारी करना नहीं चाहते हैं।~~

~~इसने पत्नी का अवलोकन किया मुक्ति वादी पक्ष एवं वाद की कारवाई जारी करने का इच्छुक नहीं है मतः वाद में कोई कारवाई केंद्रित नहीं है।~~

~~लिहना वादीगण का वादजीमे विझे वारिय विधा मतः~~

~~पत्नी केवल गुण है वाद इच्छुक~~
सच है

सहायक कमिश्नर
(SDO) शिव